

बिहार सरकार,
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश-

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-432/पटना-15, दिनांक-13-1-17

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-3, 2008) के नियम-9(1)(ii) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम-6(2)(i) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नांकित उच्चवर्गीय लिपिकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से बिहार सचिवालय सेवा के सहायक के पद (वेतनमान बैण्ड 9300-34,800/-+ग्रेड पे 4600/-) पर सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित विभाग/कार्यालय में सहायक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक का नाम	वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन का विभाग	नये पदस्थापन हेतु प्रस्ताव
1	2	3	4	5
1	श्री रामप्रवेश सिंह	191	ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण विकास विभाग
2	श्री देवजी,	324	नगरानी विभाग	अभियोजन निदेशालय
3	श्री मो०परवेज आलम,	344	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
4	श्री शिलानाथ पाण्डेय,	345	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
5	श्री शिवजी प्रसाद गुप्ता,	346	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
6	श्री दिनेशचन्द्र राम,	347	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
7	श्री गौरीशंकर राम,	348	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
8	श्री युगलकिशोर मिश्र,	349	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय
9	श्री वीरेन्द्र प्रसाद	350	जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग
10	श्री तपन कुमार दास,	351	जल संसाधन विभाग	अभियोजन निदेशालय

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ सहायक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।


3. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस. एल.पी.(सी.) सं०-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।


(एम०एस०अंसारी)

सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-432/पटना-15, दिनांक-13-1-17

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-⁴³²/पटना-15, दिनांक-~~13-1-17~~

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले. एवं ह.) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


13/1/12

सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-⁴³²/पटना-15, दिनांक-~~13-1-17~~

प्रतिलिपि:-संबंधित प्रधान सचिव/सचिव/कार्यालय प्रधान, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-09, 15 एवं 16 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा सभी नवप्रोन्नत सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि नवप्रोन्नत सहायकों को नवपदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान देने हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर विरमित किया जाना सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।


13/1/12

सरकार के अवर सचिव,

सं०-15/बि०स०से०-01-07/2009(खंड-III) सा०प्र०-⁴³²/पटना-15, दिनांक-~~13-1-17~~

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


13/1/12

सरकार के अवर सचिव।